ए.

मिस 'ए'

वी.

उत्तर प्रदेश राज्य और ए. एन. आर. (2020 की आपराधिक अपील No.659) अक्टूबर 08,2020

बी.

[उदय उमेश ललित**,** वाइन सरन और एस**.** रवींद्र भाट**,** जे**.** जे**.]**

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-एसएस।164, 173, 190, 207, 208 – बयान यू/एस दर्ज किया गया।164 – अभियुक्त को प्रतिलिपि-यौन शोषण का मामला-सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दर्ज स्वतः संज्ञान मामला-एस. आई. टी. स्थापित करने का निर्देश-अपीलार्थी-पीड़ित का बयान यू/एस. दर्ज किया गया।164 – प्रत्यर्थी की प्रमाणित प्रति की मांग करने वाले आवेदन को खारिज कर दिया गया था-आदेश को चुनौती दी गई-उच्च न्यायालय द्वारा अनुमति दी गई-इससे पहले कि उक्त निर्णय को तत्काल एसएलपी दाखिल करके चुनौती दी जा सके, अपीलार्थी के बयान की एक प्रति यू/एस।164 प्रत्यर्थी नं. को सौंप दिया गया था।2 – आयोजित किया गयाःबयान यू/एस की प्रति प्राप्त करने का अधिकार।164 संज्ञान लेने के बाद और एस. एस. द्वारा विचार किए जाने के बाद ही उत्पन्न होगा।207 और 208 और उससे पहले नहीं-केवल इसलिए कि आरोप पत्र उस समय तक दायर किया गया था जब उच्च न्यायालय ने वर्तमान मामले में आदेश पारित किया था, प्रत्यर्थी संख्या का हकदार नहीं था।2 बयान की एक प्रति यू/एस।164 – उच्च न्यायालय ने सराहना करने में गलती की

सी.

डी.

ई.

कर्नाटक राज्य में इस न्यायालय द्वारा नोनाविनकेरे पुलिस बनाम शिवन्ना उर्फ तर्करी शिवन्ना [2014] 5 एस. सी. आर. 812 द्वारा जारी किए गए निर्देश, विशेष रूप से

यौन शोषण के मामले में-ऐसे मामलों में अत्यधिक गोपनीयता बनाए रखने की आवश्यकता होती है-उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है-दंड संहिता, 1860-एस.376 सी, 354 डी, 342,506.

एफ.

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाःशिवन्ना में इस न्यायालय द्वारा यह निर्देश दिया गया था कि संहिता की धारा **164** के तहत दर्ज पीड़ित के बयान की एक प्रति संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जांच अधिकारी को एक विशिष्ट निर्देश के साथ सौंपी जाए कि संहिता की धारा **164** के तहत ऐसे बयान की सामग्री को किसी भी व्यक्ति को तब तक प्रकट नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि संहिता की धारा **173** के तहत आरोप पत्र/रिपोर्ट दायर नहीं की जाती है।दंड प्रक्रिया संहिता, **1973** के प्रासंगिक प्रावधानों की योजना से पता चलता है कि

जी.

एच.

515 ए.

516 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2020] 11 एस. सी. आर.

अनुसंधान के समापन के बाद, पुलिस द्वारा धारा **173** द्वारा आवश्यक जानकारी देते हुए संहिता की धारा **173** के तहत एक उपयुक्त रिपोर्ट दायर की जानी है।संहिता की धारा **190** के संदर्भ में, संबंधित मजिस्ट्रेट अन्य बातों के साथ-साथ पुलिस रिपोर्ट पर किसी भी अपराध का संज्ञान ले सकता है।संहिता की धारा **190** के तहत शक्ति के प्रयोग के चरण में, मजिस्ट्रेट यह मान सकता है कि मामले में कुछ पहलुओं/मुद्दों पर आगे की अनुसंधान की आवश्यकता है और वह उचित निर्देश पारित कर सकता है।यह संज्ञान लेने और प्रक्रिया जारी करने के बाद ही है कि आरोपी संहिता की धारा **207** और **208** के संदर्भ में उक्त प्रावधानों में निर्दिष्ट दस्तावेजों की प्रतियों का हकदार है।जब तक ऊपर बताए गए चरणों को पूरा नहीं किया जाता है, तब तक आरोप पत्र दाखिल करने से आरोपी को संहिता की धारा **164** के तहत बयान सहित किसी भी प्रासंगिक दस्तावेज की प्रतियों का अधिकार नहीं मिलता है।इस प्रकार, केवल इसलिए कि आरोप पत्र उस समय तक दायर किया गया था जब उच्च न्यायालय ने वर्तमान मामले में आदेश पारित किया था, प्रत्यर्थी संख्या **2** को संहिता की धारा **164** के तहत बयान की प्रति का अधिकार नहीं था।जिस कारण से उच्च न्यायालय ने वर्ष **2012** में उच्च न्यायालय की खंड पीठ के निर्णय पर भरोसा किया, जो इस न्यायालय द्वारा शिवन्ना में निर्देश पारित किए जाने से पहले था, वह पूरी तरह से गलत था।इस न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों के तार्किक विस्तार के रूप में, कोई भी व्यक्ति संहिता की धारा **164** के तहत दर्ज किए गए बयान की प्रति का तब तक हकदार नहीं है जब तक कि आरोप पत्र दायर होने के बाद न्यायालय द्वारा उचित आदेश पारित नहीं किए जाते।इस तरह के बयान की एक प्रति प्राप्त करने का अधिकार केवल संज्ञान लेने के बाद और संहिता की धारा **207** और **208** द्वारा विचार किए जाने के बाद ही उत्पन्न होगा, न कि पहले। इसलिए, प्रत्यर्थी संख्या **2** के आवेदन को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा सही ढंग से खारिज कर दिया गया था और इस प्रकार पारित आदेश में उच्च न्यायालय द्वारा किसी भी

हस्तक्षेप का आह्वान नहीं किया गया था।उच्च न्यायालय ने इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों की सराहना करते हुए पूरी तरह से गलती की, विशेष रूप से ऐसे मामले में जहां अभियुक्तों के खिलाफ कथित अपराध यौन शोषण के हैं।ऐसे मामलों में अत्यधिक गोपनीय पहचान बनाए रखने की आवश्यकता होती है।उच्च न्यायालय इस संबंध में पूरी तरह विफल रहा।हालांकि, संहिता की धारा **164** के तहत दर्ज किए गए बयान की एक प्रति आरोपी को सौंप दी गई थी, लेकिन उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को दरकिनार कर दिया गया है। संहिता की धारा **164** के तहत दर्ज बयानों की प्रतियां किसी भी परिस्थिति में ए नहीं हो सकती हैं।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

517

मिस 'ए' बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और ए. एन. आर.

मामले में संज्ञान लेने के बाद न्यायालय द्वारा उचित आदेश पारित होने तक प्रस्तुत किया जाता है।**[**पारस **14-19] [523-C-H; 524-A-E]**

कर्नाटक राज्य-नोनाविनकेरे पुलिस बनाम शिवन्ना

उर्फ तर्करी शिवन्ना (2014) 8 एस. सी. सी. 913:[2014] 5 एस. सी. आर. 812-पर निर्भर।

बी.

भगवंत सिंह बनाम पुलिस आयुक्त **(1985) 2**

एससीसी **537:[1985] 3** एस**.** सी**.** आर**. 942-**संदर्भित।

राजू जानकी यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य **(2012) 6**

सभी एलजे **486-**को संदर्भित किया गया।मामला कानून संदर्भ

सी.

[2014] 5 एससीआर **812**

उस पर भरोसा करें

पैरा **8**

[1985] 3 एससीआर **942**

संदर्भित किया गया है

पैरा **15**

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः2020 की आपराधिक अपील संख्या 659।

डी.

आपराधिक विविध मामले में इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के 07.11.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से।2019 का आवेदन संख्या 39538।

विक्रमजीत बनर्जी, ए. एस. जी., सिद्धार्थ सीम, सत्य मित्रा, सुश्री गरिमा प्रसाद, वासस्वी विरेंद्र, गौरव अग्रवाल और राज सिंह राणा, अधिवक्ता।उपस्थित दलों के लिए।

ई.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

उदय उमेश ललित**,** जे।

एफ.

1.अनुमति प्रदान की गई।

2. यह अपील 2019 के आपराधिक विविध आवेदन No.39538 में उच्च न्यायालय 1 द्वारा पारित दिनांक 07.11.2019 के आदेश से उत्पन्न होती है। 3.<आईडी1 पर, अपीलार्थी के पिता ने पुलिस स्टेशन कोटवाली, जिला शाहजहांपुर में शिकायत दर्ज कराई कि उन्होंने अपीलार्थी का उसके फेसबुक खाते पर एक वीडियो देखा था जिसमें आरोप लगाया गया था कि प्रत्यर्थी संख्या 2 और कुछ अन्य लोगों ने अपीलार्थी और कई अन्य लड़कियों का यौन शोषण किया था; कि अपीलार्थी से संपर्क नहीं किया जा सकता था; कि वह अपीलार्थी के लिए खतरे की आशंका कर रहा था; और इस मामले में शीघ्र कार्रवाई की जानी चाहिए।

जी.

एच.

1 इलाहाबाद में उच्च न्यायालय

ए.

4. इसके बाद, श्री ओम सिंह, अधिवक्ता द्वारा दायर एक शिकायत के अनुसार, इस प्रभाव से कि वह प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा संचालित आश्रम के कानूनी कार्य को देखते हैं और एक अज्ञात व्यक्ति ने धमकी दी थी कि जब तक पांच करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया जाता है, तब तक समाज में प्रत्यर्थी संख्या 2 की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचेगा।उक्त शिकायत को तुरंत 2019 की एफ. आई. आर. संख्या 442 के रूप में दर्ज किया गया।

बी.

5. अपीलार्थी के पिता द्वारा दायर शिकायत दो दिन बाद भारतीय दंड संहिता की धारा 506 और 364 (संक्षेप में, 'आई. पी. सी.') के तहत अपहरण और यौन उत्पीड़न के अपराधों के संबंध में 2019 की एफ. आई. आर. No.445 के रूप में दर्ज की गई थी।

6. अपीलार्थी का फेसबुक वीडियो वायरल होने के बाद, कुछ अधिवक्ताओं द्वारा इस न्यायालय को पत्र लिखे गए थे, जिसके बाद सुओ मोटू रिट याचिका (सी. आर. एल.) दायर की गई थी। 2019 का सं. 2 इस न्यायालय में पंजीकृत किया गया था।आई. डी. 1 पर इस न्यायालय को सूचित किया गया कि अपीलार्थी राजस्थान राज्य के दौसा जिले में पाया गया था।आई. डी. 1 पर, इस अदालत ने अपीलार्थी का बयान दर्ज किया कि उसका उत्तर प्रदेश वापस जाने का इरादा नहीं था, बल्कि वह दिल्ली में अपने माता-पिता से मिलेगी।इसलिए कुछ निर्देश पारित किए गए।

सी.

डी.

7. अपने दिनांकित 02.09.2019 आदेश में, इस न्यायालय ने कहाः-

“हम लड़की "ए" द्वारा व्यक्त की गई शिकायतों और उसके माता-पिता की आशंकाओं के बारे में कोई राय व्यक्त नहीं कर रहे हैं।हम केवल यह बताना चाहते हैं कि शिकायतों/आशंकाओं की शुद्धता को कानून में साबित प्रक्रिया के अनुसार संबोधित किया जाना चाहिए।

ई.

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्य सचिव को पुलिस महानिरीक्षक के पद पर एक पुलिस अधिकारी की अध्यक्षता में एक विशेष दल का गठन करने का निर्देश देते हैं, जिसे पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधिकारियों की एक टीम द्वारा मिस

"ए" द्वारा व्यक्त की गई शिकायतों और मिस "ए" के माता-पिता द्वारा व्यक्त की गई आशंका की जांच करने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।

एफ.

इस स्तर पर, अतिरिक्त महाधिवक्ता सुश्री ऐश्वर्या भाटी के साथ उत्तर प्रदेश राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री विक्रमजीत बनर्जी ने प्रस्तुत किया है कि संस्था के प्रबंधन के खिलाफ शिकायतकर्ता-लड़की मिस "ए" के पिता द्वारा दर्ज की गई शिकायत के आधार पर भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 364 और 506 के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई है।श्री विक्रमजीत बनर्जी ए

जी.

एच.

519

मिस 'ए' बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और ए. एन. आर. [उदय उमेश ललित, जे।] ए.

उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया है कि एक क्रॉस एफ. आई. आर. संख्या 0442 दिनांकित 25.08.2019 दर्ज की गई है।

गठित किया जाने वाला अनुसंधान दल दोनों प्राथमिकियों पर ध्यान देगा और अनुसंधान दोनों में कानून के अनुसार अनुसंधान के साथ आगे बढ़ेगा और उच्च न्यायालय के समक्ष स्थिति रिपोर्ट दाखिल करेगा।

बी.

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हम इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से इस संबंध में जांच की निगरानी के लिए एक पीठ का गठन करने का अनुरोध करते हैं।जहाँ तक लड़की के पिता द्वारा उनकी सुरक्षा के बारे में व्यक्त की गई आशंका का संबंध है, हम उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश देते हैं कि वे संबंधित जिले, शाहजहांपुर के पुलिस अधीक्षक को निर्देश दें कि वे खतरे की धारणा का आकलन करने पर लड़की के माता-पिता और परिवार के सदस्यों को सुरक्षा प्रदान करें।हम उच्च न्यायालय से मिस "ए" के परिवार के सदस्यों को दी गई सुरक्षा की समीक्षा करने और उचित आदेश पारित करने का भी अनुरोध करते हैं।”8. तदनुसार, विशेष अनुसंधान दल (एस. आई. टी.) का गठन किया गया और न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 (संक्षेप में, 'संहिता') के तहत अपीलार्थी का बयान 16.09.2019 पर दर्ज किया गया।17.09.2019 पर, अपीलार्थी द्वारा एक आवेदन दायर किया गया था कि संहिता की धारा 164 के तहत उसका बयान दर्ज करते समय कुछ खामियां थीं।17.09.2019 पर ही, प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा संहिता की धारा 164 के तहत अपीलार्थी के बयान की प्रमाणित प्रति के लिए एक

आवेदन दायर किया गया था।अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश, शाहजहांपुर द्वारा 19.09.2019 के आदेश द्वारा आवेदन को खारिज कर दिया गया था।राज्य में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए

सी.

डी.

ई.

एफ.

कर्नाटक द्वारा नोनाविनकेरे पुलिस बनाम. शिवन्ना उर्फ तर्कारी

शिवन्ना 2 में कहा गया थाः- "... ...यदि धारा 164 के तहत बयान की प्रति अनुसंधान के इस प्रारंभिक चरण में प्रदान की जाती है, तो संबंधित व्यक्ति (ओं) के सामने अनुसंधान के सभी पहलुओं को फैलाने के अलावा, जो इस मामले में शामिल सभी प्रमुख गवाहों के नाम भी जानेंगे, पीड़ित (ओं) के स्वास्थ्य और सुरक्षा के साथ-साथ सभी प्रमुख गवाहों की सुरक्षा भी खतरे में होगी।यह भी बहुत संभावना है कि सभी प्रभावित और संबंधित व्यक्ति स्वयं अनुसंधान को प्रभावित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और अपने मामले में सभी प्रमुख गवाह।

जी.

एच.

2 (2014) 8 एस. सी. सी. 913

S.173 सी. आर. पी. सी. के तहत कोई भी रिपोर्ट बनाए जाने से बहुत पहले पक्ष लिया जाता है। यह सब निश्चित रूप से अभियोजन पक्ष के मामले को 'नुकसान' पहुँचाने के लिए बाध्य है।हालांकि, एक बार जब अनुसंधान समाप्त हो जाती है और उस स्तर पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत एक रिपोर्ट दायर की जाती है, तो संबंधित व्यक्ति द्वारा अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत बयान की प्रति मांगी जा सकती है।

बी.

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, आवेदक स्वामी चिन्मानंद सरस्वती के विद्वान अधिवक्ता द्वारा सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान की प्रति प्राप्त करने के लिए दायर आवेदन ऊपर चर्चा किए गए सभी कारणों से खारिज कर दिया जाता है।"

9. 20.09.2019 पर प्रत्यर्थी संख्या 2 को गिरफ्तार कर लिया गया और जमानत के लिए उनके आवेदन को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर द्वारा 23.09.2019 पर खारिज कर दिया गया।2019 के 22.10.2019 आपराधिक विविध आवेदन No.39538 पर प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा उच्च न्यायालय में दिनांकित 19.09.2019 के आदेश को चुनौती देते हुए दायर किया गया था।एस. आई. टी. द्वारा 2019 की एफ. आई. आर. संख्या 442 और 2019 की एफ. आई. आर. संख्या 445 के संबंध में आरोप पत्र दायर किए गए थे। 2019 की एफ. आई. आर. संख्या 445 के अनुसार दर्ज अपराध में दायर आरोप पत्र में कहा गया है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 ने भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 376 सी, 354 डी, 342,506 के तहत दंडनीय अपराध किए हैं।

सी.

डी.

10. 07.11.2019 पर, 2019 के आपराधिक विविध आवेदन संख्या 39538 को उच्च न्यायालय द्वारा अनुमति दी गई थी।राजू जानकी में उच्च न्यायालय की खंड पीठ के निर्णय से निम्नलिखित टिप्पणियां

ई.

यादव बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य **3** पर भरोसा किया गया थाः**-**

"इन शर्तों पर, हमारा विचार है कि यदि किसी संबंधित व्यक्ति द्वारा धारा 164 Cr.P.C के तहत बयान की प्रति प्राप्त करने के लिए कोई आवेदन किया जाता है, तो उसे कभी भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता है यदि वह नियमों के तहत स्वीकार्य लागत का भुगतान करने के लिए तैयार है।..."

एफ.

उच्च न्यायालय ने राज्य के विद्वान अधिवक्ता का बयान भी निम्नानुसार दर्ज कियाः-

"विद्वान ए. जी. ए. ने इस मामले को उठाने के लिए निर्देश लेने के लिए समय मांगा था।अब उन्हें निर्देश मिल गए हैं।उन्होंने कहा है कि धारा 164 Cr.P.C के तहत दर्ज पीड़ित के बयान की एक प्रति आरोपी-याचिकाकर्ता को दी जानी चाहिए थी।विवादित आदेश निचली अदालत द्वारा गलत तरीके से पारित किया गया है जिसके द्वारा यह

जी.

3 (2012) 6 2012 की सभी एल. जे. 486 = आपराधिक विविध रिट याचिका No.3567 का निर्णय 08.05.2012 पर किया गया।

एच.

521

मिस 'ए' बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और ए. एन. आर. [उदय उमेश ललित, जे।] ए.

ए.

धारा 164 Cr.P.C के तहत दर्ज पीड़ित के बयान की प्रति आरोपी-आवेदक को देने से इनकार कर दिया था।" उच्च न्यायालय ने पाया कि शिवन्ना 2 में इस न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित कारणों से आकर्षित नहीं होगाः-

"आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उक्त निर्देश केवल पुलिस के पालन के लिए जारी किए गए थे, न कि अदालत के लिए।मैं उक्त तर्क से सहमत हूं और मेरी राय है कि राजू (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय की खंड पीठ द्वारा सही कानून निर्धारित किया गया है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सामान्य शुल्क के भुगतान के अधीन आवेदक को धारा 164 Cr.P.C के तहत दर्ज पीड़ित के बयान की प्रमाणित प्रति प्रदान करना निचली अदालत का कर्तव्य था।

बी.

सी.

तदनुसार, विवादित आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है और यह निर्देश दिया जाता है कि निचली अदालत सामान्य शुल्क के भुगतान के अधीन आवेदक को धारा 164 Cr.P.C के तहत दर्ज पीड़ित के बयान की एक प्रमाणित प्रति प्रदान करेगी।"

डी.

11. इससे पहले कि अपीलकर्ता उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दे सके, 13.11.2019 पर तत्काल विशेष अनुमति याचिका दायर करके, संहिता की धारा 164 के तहत दर्ज किए गए उसके बयान की एक प्रति प्रत्यर्थी संख्या 2 को सौंप दी गई।

ई.

12. जब इस अपील को सुनवाई के लिए लिया गया, तो अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने मामले में "कोई निर्देश नहीं" दिया और उपस्थिति वापस लेने का अनुरोध किया।चूंकि मामला कानून के सवाल उठाता है, इसलिए हमने प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया और पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के लिए आगे बढ़े।

एफ.

13. इस न्यायालय द्वारा शिवन्ना **2** में जारी किए गए निर्देश निम्नलिखित पृष्ठभूमि में थेः**-**

“2. हमने नोट किया था कि बलात्कार के आरोप से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए त्वरित अदालतों का गठन किया जा रहा है, लेकिन हम यह देखकर परेशान और दुखी हैं कि हालांकि ऐसे मामलों के निपटारे के लिए त्वरित अदालतें हैं, लेकिन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 के तहत दर्ज बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के मामलों से निपटने के लिए हमारे पास अभी तक त्वरित प्रक्रिया नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप इस तरह के जघन्य अपराध लगातार दोहराए जाते हैं।3. हमने आगे देखा कि उपवास की प्रकृति में सी. आर. पी. सी. में भारी संशोधन करने की आवश्यकता है।

फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रक्रिया को ट्रैक करें जब हमने नोटिस जारी करना उचित और उचित समझा और भारत संघ से अपना जवाब दाखिल करने का आह्वान किया कि उसे आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 में आवश्यक संशोधन शुरू करने के लिए पहल और गंभीर कदम क्यों नहीं उठाने चाहिए, जिसमें "बलात्कार" के आरोप के लिए मुकदमा शामिल है, जिसमें यह निर्देश दिया गया है कि अपराध और बलात्कार के मामलों की घटना के संबंध में जिन सभी गवाहों से पूछताछ की जाती है, उन्हें सीधे महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना चाहिए ताकि उनका बयान दर्ज किया जा सके और उन्हें सीलबंद लिफाफे में रखा जा सके और उसके बाद उन्हें मुकदमे के चरण में सबूत के रूप में माना जाए।हमारा यह विचार था और हमारा यह भी विचार है कि पीड़ित का बयान जहां तक संभव हो, महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज किया जाना चाहिए, जिसे सीलबंद लिफाफे में रखा जाना चाहिए और उसके बाद इसे मुकदमे के चरण में सबूत के रूप में माना जाना चाहिए, जिसे जिरह के अधीन करके परीक्षण के लिए रखा जा सकता है।” इस न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देश निम्नलिखित प्रभाव के थेः- “
10.1.बलात्कार के अपराध से संबंधित जानकारी प्राप्त होने पर, जांच अधिकारी पीड़ित को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत उसका बयान दर्ज करने के उद्देश्य से किसी भी महानगर/अधिमानतः न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास ले जाने के लिए तत्काल कदम उठाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत बयान की एक प्रति तुरंत जांच अधिकारी को एक विशिष्ट निर्देश के साथ सौंपी जानी चाहिए कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत इस तरह के बयान की सामग्री का खुलासा किसी भी व्यक्ति को तब तक नहीं किया जाना

चाहिए जब तक कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत आरोप पत्र/रिपोर्ट दायर नहीं की जाती है।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

10.2.जाँच अधिकारी जहाँ तक संभव हो, पीड़ित को निकटतम लेडी मेट्रोपॉलिटन/अधिमानतः लेडी ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा।

10.3.जाँच अधिकारी विशेष रूप से उस तारीख और समय को दर्ज करेगा जिस पर उसे बलात्कार के अपराध के बारे में पता चला और जिस तारीख और समय पर वह पीड़ित को मेट्रोपॉलिटन/अधिमानतः महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास ले गया, जैसा कि ऊपर कहा गया है।

जी.

एच.

523

मिस 'ए' बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और ए. एन. आर. [उदय उमेश ललित, जे।] ए.

ए.

10.4.यदि पीड़ित को मजिस्ट्रेट के पास ले जाने में 24 घंटे से अधिक की देरी होती है, तो जांच अधिकारी को मामले की डायरी में इसके कारणों को दर्ज करना चाहिए और इसकी एक प्रति मजिस्ट्रेट को सौंपनी चाहिए।

10.5.पीड़ित का चिकित्सकीय परीक्षणःसी. आर. पी. सी. में 2005 के अधिनियम 25 द्वारा अंतःस्थापित सी. आर. पी. सी. की धारा 164-ए जांच अधिकारी की ओर से बलात्कार की पीड़िता की तुरंत चिकित्सकीय जांच कराने का दायित्व लगाती है।इस तरह की चिकित्सा जांच की रिपोर्ट की एक प्रति तुरंत मजिस्ट्रेट को सौंपी जानी चाहिए जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत पीड़ित का बयान दर्ज करते हैं।

बी.

सी.

14. इस प्रकार, इस न्यायालय द्वारा यह निर्देश दिया गया कि संहिता की धारा 164 के तहत दर्ज पीड़ित के बयान की एक प्रति संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जांच अधिकारी को एक विशिष्ट निर्देश के साथ सौंपी जाए कि संहिता की धारा 164 के तहत ऐसे बयान की सामग्री को किसी भी व्यक्ति को तब तक प्रकट नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि संहिता की धारा 173 के तहत आरोप पत्र/रिपोर्ट दायर नहीं की जाती है।

डी.

15. संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों की योजना से पता चलता है कि अनुसंधान के समापन के बाद, धारा 173 द्वारा आवश्यक जानकारी देते हुए पुलिस द्वारा संहिता की धारा 173 के तहत एक उपयुक्त रिपोर्ट दायर की जानी है।संहिता की धारा 190 के संदर्भ में, संबंधित मजिस्ट्रेट अन्य बातों के साथ-साथ पुलिस रिपोर्ट पर किसी भी अपराध का संज्ञान ले सकता है।संहिता की धारा 190 के तहत शक्ति के प्रयोग के चरण में, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा कई निर्णयों में निर्धारित किया गया है,

ई.

भगवंत सिंह बनाम के आयुक्त में निर्णय उल्लेखनीय है।

पुलिस 4, मजिस्ट्रेट उचित समझ सकता है कि मामले में कुछ पहलुओं/मुद्दों पर आगे की अनुसंधान की आवश्यकता है और उचित निर्देश पारित कर सकता है।यह संज्ञान लेने और प्रक्रिया जारी करने के बाद ही है कि आरोपी संहिता की धारा 207 और 208 के संदर्भ में उक्त प्रावधानों में निर्दिष्ट दस्तावेजों की प्रतियों का हकदार है।

एफ.

जब तक ऊपर बताए गए चरणों को पूरा नहीं किया जाता है, तब तक आरोप पत्र दाखिल करने से आरोपी को संहिता की धारा 164 के तहत बयान सहित किसी भी प्रासंगिक दस्तावेज की प्रतियों का अधिकार नहीं मिलता है।

जी.

16. इस प्रकार, केवल इसलिए कि आरोप पत्र उस समय तक दायर किया गया था जब उच्च न्यायालय ने वर्तमान मामले में आदेश पारित किया था, हकदार नहीं था

एच.

4 (1985) 2 एससीसी 537 पैरा 4

संहिता की धारा 164 के तहत बयान की एक प्रति के लिए प्रत्यर्थी संख्या 2।

17. इसके अलावा, शिवन्ना 2 में इस न्यायालय द्वारा निर्देश पारित किए जाने से पहले वर्ष 2012 में दिए गए उच्च न्यायालय की खंड पीठ के फैसले पर भरोसा करने में उच्च न्यायालय के साथ वजन का कारण पूरी तरह से गलत था।इस न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों के तार्किक विस्तार के रूप में, कोई भी व्यक्ति संहिता की धारा 164 के तहत दर्ज किए गए बयान की प्रति का तब तक हकदार नहीं है जब तक कि आरोप पत्र दायर होने के बाद न्यायालय द्वारा उचित आदेश पारित नहीं किए जाते।

बी.

इस तरह के बयान की एक प्रति प्राप्त करने का अधिकार केवल संज्ञान लेने के बाद और संहिता की धारा 207 और 208 द्वारा विचार किए जाने के बाद ही उत्पन्न होगा, न कि पहले।इसलिए, प्रत्यर्थी संख्या 2 के आवेदन को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा सही ढंग से खारिज कर दिया गया था और इस प्रकार पारित आदेश में उच्च न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप का आह्वान नहीं किया गया था।18. हमारे विचार में, उच्च न्यायालय ने इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों की सराहना करने में पूरी तरह से गलती की, विशेष रूप से ऐसे मामले में जहां अभियुक्तों के खिलाफ कथित अपराध यौन शोषण के हैं।ऐसे मामलों में अत्यधिक गोपनीयता बनाए रखने की आवश्यकता होती है।हमारे विचार में, उच्च न्यायालय इस संबंध में पूरी तरह विफल रहा।

सी.

डी.

19. हालांकि, संहिता की धारा 164 के तहत दर्ज किए गए बयान की एक प्रति आरोपी को सौंपी गई थी, हमें उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को दरकिनार करना चाहिए और यह निर्धारित करना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में संहिता की धारा 164 के तहत दर्ज किए गए बयानों की प्रतियां तब तक प्रस्तुत नहीं की जा सकती हैं जब तक कि मामले में संज्ञान लेने के बाद अदालत द्वारा उचित आदेश पारित नहीं किए जाते।

ई.

20. हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ का निर्णय, जिस पर वर्तमान मामले में निर्भरता रखी गई थी, इस न्यायालय द्वारा शिवन्ना 2 में जारी किए गए निर्देशों के अधीन होना चाहिए, जैसा कि यहाँ ऊपर समझाया गया है।

एफ.

21. इसलिए इस अपील की अनुमति दी जाती है।

जी.

दिव्या पांडे

अपील की अनुमति दी गई।

एच.